संख्या-317/2021/1470/41-2021-03(सा0)/2020

प्रेषक,

गिरिजापति द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 07 जून, 2021**

विषयः- जनपद- मीरजापुर में विन्ध्यवासिनी मंदिर (कॉरीडोर) परिक्रमा मार्ग बनाये /विकसित किये जाने के आगणन गठन हेतु कार्यदायी संस्था नामित करने के संबंध मे।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-227/6-1-1/(1072)/2019-20 दिनांक 11 मई 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें , जिसके माध्यम से जनपद- मीरजापुर में विन्ध्यवासिनी मंदिर (कॉरीडोर) परिक्रमा मार्ग बनाये /विकसित किये जाने के आगणन गठन हेतु कार्यदायी संस्था नामित करने का अनुरोध किया गया है।

2- जनपद मीरजापुर में विन्ध्यवासिनी मंदिर (कॉरीडोर) परिक्रमा मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि-परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासनादेश सं0- 252/2020/4113/41-2020-03 (सा0)/2020 दिनांक 03 नवम्बर 2020 निर्गत किया गया है तथा उक्त शासनादेश के अनुक्रम में विन्ध्यवासिनी मंदिर के आस-पास चारों ओर 50 फीट चौडाई वाले परिक्रमा पथ के अंदर आने वाली कुल 92 परिसम्पत्तियों एवं भूमि क्रय हेतु शासनादेश सं0-266/2020/4165/41-2020-03 (सा0)/2020 दिनांक 19-11-2020 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूंजी लेखामद में मद सं0-27 मिर्जापुर में विन्ध्यवासिनी देवी धाम में पर्यटन विकास अन्तर्गत रू0 10.00 करोड़ एवं शासनादेश सं0-267/2020/4165(2)/41-2020-03(सा0)/2020 दिनांक 19-11-2020 द्वारा मद सं0-36-विन्ध्याचल का पर्यटन विकास अन्तर्गत रू0 10.00 करोड़ अर्थात् कुल रू0 20.00 करोड़ की धनराशि को जिलाधिकारी मीरजापुर के निवर्तन पर रखे जाने का आदेश निर्गत किया गया है। तदनन्तर शासनादेश सं0-177/2021/510/41-2021-03(सा0)/2020 दिनांक 25 फरवरी 2021 द्वारा जनपद- मीरजापुर में विन्ध्यवासिनी कॉरीडोर (परिक्रमा पथ) से लगे 04 प्रमुख मार्गों से संबंधित आवश्यक भूमि को क्रय करने एवं परिसम्पत्तियों को मुआविजा दिये जाने हेतु रू0-3370.61 लाख की एकमुश्त प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये उक्त धनराशि को भी जिलाधिकारी , मीरजापुर के निवर्तन पर रखा गया। तत्क्रम में महानिदेशक पर्यटन द्वारा जनपद मीरजापुर में माँ विन्ध्यवासिनी कॉरीडोर (परिक्रमा पथ) से लगे 04 प्रमुख मार्गों में से अति महत्वपूर्ण मार्ग कोतवाली गली (शेष भाग) का विस्तार किये जाने हेतु अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया और यह अवगत कराया गया कि माँ विन्ध्यवासिनी कॉरीडोर से जुड़े हुए 04 प्रमुख मार्गों से सम्बन्धित आगणित धनराशि की स्वीकृति हो चुकी है तथा इन मार्गों में से मात्र एक मार्ग कोतवाली गली जो 50 फिट परिक्रमा पथ से जुड़ा हुआ 100 फिट लम्बाई व 35 फिट चैड़ाई का प्रस्तावित आगणन स्वीकृत हो चुका है तथा प्राप्त आगणित धनराशि से प्रभावित व्यक्तियों से आपसी समझौते के आधार पर विक्रय विलेख निष्पादित कराया जा रहा है । कोतवाली गली (शेष भाग) की महत्ता के दृष्टिगत इसका विस्तारीकण /चैड़ीकरण हनुमान तिराहे तक किया जाना आवश्यक है अतः कोतवाली गली में परिक्रमा पथ से जुड़ा 100 फिट लम्बाई के बाद (शेष भाग) हनुमान तिराहे तक कुल 447 मीटर लम्बाई में एवं 35 फिट चैडाई में मार्ग के विस्तारीकरण /चौडीकरण हेतु प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0लो0नि0वि0 मीरजापुर से तैयार कराया गया है । अतः आगणित धनराशि रू0 273548000/- तथा 01 प्रतिशत निबन्धन शुल्क रू0-2735480/- एवं प्रतिलिपि शुल्क

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रू0-80/-प्रति विक्रय पत्र (165×80) = अर्थात् रू0- 13200/- कुल योग रू0 276296680/-(रूपया सत्ताईस करोड़ बासठ लाख छानबे हजार छः सौ अस्सी मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया जिसके क्रम में शासनादेश सं0- 307/2021/1074/41-2021-03 (सा0)/2020 दिनाक 31 मार्च 2021 द्वारा रू0 276296680/-(रूपया सत्ताईस करोड़ बासठ लाख छानबे हजार छः सौ अस्सी मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति पुन: निर्गत की गई है।

3- उक्त पृष्ठभूमि में महानिदेशक पर्यटन के प्रस्ताव क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **जनपद-मीरजापुर में विन्ध्यवासिनी मंदिर (कॉरीडोर) परिक्रमा मार्ग बनाये /विकसित किये जाने के आगणन गठन हेतु एतद्द्वारा उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।**

भवदीय,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या-317/2021/1470/41-2021-03(सा0)/2020 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मण्डल आयुक्त ,विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
4- जिलाधिकारी , मीरजापुर।
5- मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
6- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ,उ0प्र0 शासन।
9- संयुक्त निदेशक, पर्यटन वाराणसी एवं विन्ध्याचल मण्डल।
10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।